

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा
पत्रांक: 193/14-1 दिनांक, एटा, जुलाई, 28, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय: एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0 85) कि0मी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या 999 स/1 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: वन संरक्षक (केन्द्रीय) लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक 8बी/06/32/2016 एफ0सी0/17 दिनांक 13.04.2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये अनुपालन

आख्या निम्न प्रकार बिन्दुवार प्रेषित है-

बिन्दु सं0	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में दिये गये ले-आउट प्लान से भिन्न है।	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की संशोधित गणना संलग्न है, जो प्रस्ताव में दिये गये ले-आउट प्लान के अनुसार है।
2	प्रकरण के आन लाइन विवरण में संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रकरण में संशोधित प्रमाण-पत्र एफ0 आर0 ए0 चिन्हित वन स्वरूप सम्बन्धी प्रमाण- पत्र, वित्तीय प्राक्कलन, एन0 पी0 वी0, क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जी0 ओ0 रिफ्रेश रिपोर्ट, क्षेत्रफल गणना शीट संलग्न है। प्रस्ताव आन लाइन अप लोड कर दिया गया है।

अतः उक्त संशोधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज 4 प्रतियों में संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नक: उक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक: 193/14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ।
- डिवायजनल मैनेजर, एस्सार आयल लि0 ए-5 सैक्टर-3, नोएडा।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, दिनांक: अलीगढ़: जुलाई: 01.08.2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0 85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या 999स/1 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0794 हे0 (पूर्व में 0.0768 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

वन संरक्षक (केन्द्रीय) लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक- 8बी/06/32/2016 एफ0सी0/17 दिनांक 13.04.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने पत्रांक 193/14-1, दिनांक 28.07.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अतः आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

S no.	Observation	Reply
1	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में दिये गये ले आउट प्लान से भिन्न है।	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की संशोधित गणना संलग्न है, जो प्रस्ताव में दिये गये ले-आउट प्लान के अनुसार है।
2	प्रकरण के ऑनलाइन विवरण में संलग्न प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रकरण में संशोधित प्रमाण-पत्र एफ0आर0ए0 चिन्हित वन स्वरूप सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, वित्तीय प्राकल्पन, एन0पी0वी0 क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जी0ओ0 रिफ्रेश रिपोर्ट, क्षेत्रफल गणना शीट संलग्न है। प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 364 /14-1, समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 193/14-1, दिनांक 28.07.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार आयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर) 1.8.17

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।